समाचार-प्रकाशनार्थ:-

अवैध कालोनियों के वरूद्ध कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 23 मार्च । नगर पा लक निगम रतलाम द्वारा शहर में बन रही अवैध कालोनियों तथा इनके कालोनाईजरों के वरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगभग 25 कालोनाईजरों को नोटिस दिये गये है। इन अवैध कालोनियों की मैदानी जांच हेतु राजस्व वभाग जिला प्रशासन रतलाम व नगर पा लक निगम रतलाम के इंजीनियरों के संयुक्त दल का गठन कया गया है।

अवैध कालोनियों में हुए निर्माण को ध्वस्त करने के साथ ही इनके कालोनाईजरों के वरूद्ध नगर पा लक निगम अ धनियम 1956 की धारा 292 ;ग) में उल्ले खत प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय अपराध होने से कारावास एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही हेतु पु लस प्राथ मकी दर्ज करवाई जावेगी।

22 मार्च को दल द्वारा डोंगरा नगर के पीछे की तरफ बन रही अवैध कालोनी की सड़कों पर जेसीबी चलाकर उखाड़ा गया तथा वहीं अवैध रूप से बन रहे भवनों की निर्माण सामग्री जब्त की गई।

कालोनाईजर तथा भवन निर्माण के वरूद्ध पु लस प्राथ मकी दर्ज कराने की कार्यवाही भी प्रच लत कर दी गई है। अवैध बने मकानों को भी ध्वस्त कया जावेगा। निगम व जिला प्रशासन की इस मुहीम के अर्न्तगत वर्तमान में प्रकाश में आयी सभी अवैध कालोनियों व उनके कालोनाईजरों के वरूद्ध वैधानिक कार्यवाही कर पु लस प्राथ मकी व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

नगर के सभी वार्ड चरणबद्ध तरीके से बनेंगे जीरो वेस्ट वार्ड

23 मार्च तक 26 वार्ड बन चुके है जीरो वेस्ट वार्ड

40ए 47ए 48 व 49 भी बने जीरो वेस्ट वार्ड

रतलाम नगर निरंतर बढ़ रहा है जीरो वेस्ट की ओर

जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिक ले रहे है बढ़-चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 23 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45 व 46 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ। 22 मार्च की स्थिति में नगर के 22 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है रतलाम नगर को स्वच्छता में देश में नम्बर 1 बनाने के नागरिकों व निगम कर्मचारियों के उत्साह को देखते हुए 23 मार्च से वार्ड क्रमांक 40ए 47ए 48 व 49 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है आगामी एक सप्ताह में नगर के सभी वार्डो को चरणबद्ध तरीके से जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाकर संपूर्ण रतलाम नगर को जीरो वेस्ट नगर बनाया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क वर्तमान में जिन वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है उन वार्डो की सड़कोंए ग लयों एवं ना लयों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरोए दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग कया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कया जाकर रैग पकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित कया जा रहा है।

जीरो वेस्ट वार्ड 1ए 3ए 7ए 8ए 14ए 17ए 18ए 19ए 20ए 29ए 32ए 33ए 34ए 35ए 36ए 39ए 40ए 41ए 42ए 43ए 44ए 45ए 46ए 47ए 48 व 49 में 2.2 कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पकर्स महिलाए आई.ई.सी. टीम के सदस्यए वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100

प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित कये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित कया गया। नागरिकों से अपील जाती है क वे अपने घरो एवं दुकानांे से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक-पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक-पृथक डाला जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया क स्व सहायता समूहों की रैग पकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया टेªचंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिकए रबरए बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को वक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लये निगम द्वारा एप्रीनए ग्लबसए मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इस लये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद कया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षकए दरोगाए स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें क इसका भण्डारण कहां होता है व वक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधत की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन कया जाये।

आवास मेले में फ्लेट व नि वदा की जानकारी नागरिकों ने प्राप्त की

रतलाम 23 मार्च । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुखर्जी नगर में नि र्मत 94 एमआईजी फ्लेटों का ऑन लाईन नि वदा के माध्यम से वक्रय कये जाने हेतु नगर निगम द्वारा मुखर्जी नगर में आयोजित आवास मेले में नागरिकों को फ्लेट व नि वदा के संबंध में जानकारी दी।

आवास मेला निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ जिसमें कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी जीए उपयंत्री श्री राजेश पाटीदारए पीएमसी एजिस इं डया उज्जैन संभाग के रेसीडेंट इंजीनियर श्री सलीम खानए ए.आर.ई. के श्री अनन्त गुप्ताए क्यू.ई. के श्री स चन आनन्द व एजीस टीम द्वारा नागरिकों को फ्लेट व ऑन लाईन नि वदा के संबंध में जानकारी दी साथ ही ऋण संबंधी जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इं डया के कर्मचारियों द्वारा दी गई।

3 दिवस पहले वकास कार्यो की खुदाई के रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी
परीक्षण उपरान्त आमजन की सु वधा के दृष्टिगत अनुमति मलेगी

रतलाम 23 मार्च । नगरीय क्षेत्र में व भन्न शासकीय योजनाओं के वकास कार्य व निगम नि ध के वकास कार्यो के तहत की जाने वाली खुदाई से आमजन को कसी प्रकार की असु वधा ना हो इस हेतु खुदाई के 3 दिवस पूर्व खुदाई का स्थानए कार्य के पूर्ण होने की ति थ व मान चत्र निगम के व भन्न वभागों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को प्रस्तुत करना होगें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आदेश जारी कर निर्दे शत कया है क वर्तमान में रतलाम नगरीय क्षेत्र में व भन्न शासकीय योजनाओं के वकास कार्यो के साथ ही निगम नि ध के भी वकास कार्य प्रच लत है। अलग-अलग योजनाओं तथा अलग-अलग वभागों के कार्य होने के कारण समन्वय के अभाव में होने वाली खुदाई से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है व यातायात व्यवस्था भी प्रभा वत होती है। इस हेतु निगम के अधीन प्रत्येक वभाग द्वारा कसी भी प्रकार के कार्य हेतु खुदाई प्रारंभ करने से 3 दिवस पूर्व ल खत में कार्य का नामए खुदाई का स्थान तथा कार्य पूर्ण होने की की संभा वत ति थ सहित क्षेत्र का मान चत्र मय वैकल्पिक यातायात व्यवस्था के प्रस्तुत करें। परीक्षण उपरांत खुदाई कार्य हेतु आमजन की सु वधा व यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के दृष्टिगत खुदाई कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर 8 व्यक्तियों पर जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबं धत

रतलाम 23 मार्च । षासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबं धत कये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का उपयोग करने पर कमल नेनू माणक चौक पर 1000ए अनुपम माणक चौक पर 900ए यादव रेस्टोरेंट पर 200ए पंजाब सायकल नाहरपुरा चौराहाए अ र्पतए समीर माणक चौकए गीता हरदेवलाला की पीपली पर 100 व कमला हरदेवलाला की पीपली पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए.पी. संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहान व श्री पर्वत हाड़ेए उप स्वच्छता निरीक्षक श्री वराट मेहरा के अलावा मनोज टांकए पवन झांझोटए आकाष षन्देए राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबं धतों के वरूद्ध जुर्माना कये जाने का अ भयान निरंतर जारी रहेगा।

पॉलीथीन व डस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबं धत

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में दिये निर्देश

रतलाम 23 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से षासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबं धत कया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अ धकारियों को निर्दे षत कया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्दे षत कया क 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः

प्रतिबं धत कया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबं धत कया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैलीए नारियल या जूट की थैली का उपयोग करेंए प्लास्टिक व थर्मोकोल से नि र्मत कपए ग्लासए कटोरीए चम्मचए कन्टेनरए स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉए पेपर प्लेटए दोने पत्तलए पत्तो से नि र्मत बाउलए केले के तने तथा नारियल के पत्तों से नि र्मत प्लेट एवं बाउलए म ी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लये करें इस हेतु प्रेरित कया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डस्पोजेबल आयटमों के वक्रयए भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही कये जाने के निर्देष संबं धत को दिये।

दो बत्ती चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली श वर

नागरिकों ने 68ए70ए144६ संपत्तिकर व 14ए02ए220६ जलकर जमा कराया

रतलाम 23 मार्च । नागरिकों की सु वधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली ष वर 18 जनवरी से आयोजित कये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित ष वरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरणए जलकरए दुकानए गुमटी करायाए लायसेंस षुल्क एवं वकास षाखा से संबं धत भवन की कष्त तथा भू-भाटक की बकाया रा ष जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित ष वरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर ष वर में संपत्तिकर 1ए10ए000६ व जलकर 6ए000६ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा ष वर में संपत्तिकर 1ए40ए000६ व जलकर 55ए775६ए अम्बे माता जवाहर नगर ष्वििर में संपत्तिकर 2ए38ए000६ व जलकर 49ए010६ए वनोबा नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए29ए000६ व जलकर 43ए670६ए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल ष वर में संपत्तिकर 1ए22000६ व जलकर

29ए280६ए तिरूपति ष वर में संपत्तिकर 77ए000६ व जलकर 19ए850६ए कोमल नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए27ए000६ व जलकर 48ए220६ए मार्निंग स्टार स्कूल ष वर में संपत्तिकर 1ए12ए000६ व जलकर 14ए000६ए कस्तुरबा नगर ष वर में संपत्तिकर 5ए47ए000६ व जलकर 86ए540६ए प्रयदर्षनी नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए02ए000६ व जलकर 3ए76ए905६ए डोंगरे नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए82ए500६ व जलकर 76ए470६ए हाट रोड ष वर में संपत्तिकर 68ए000६ व जलकर 47ए595६ए कलीमी कालोनी ष वर में संपत्तिकर 1ए17ए000६ व जलकर 22ए680६ए राजेन्द्र नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए01ए644६ व जलकर 55ए320६ए काटजू नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए76ए000६ व जलकर 59ए500६ए वेदव्यास कालोनी ष वर में संपत्तिकर 26ए62ए144६ व जलकर 6ए71ए025६ए कल्याण नगर ष वर में संपत्तिकर 71ए000६ व जलकर 19ए000६ए दीनदयाल नगर ष वर में संपत्तिकर 2ए47ए000६ व जलकर 64ए780६ए बोहरा बाखल ष वर में संपत्तिकर 4ए92ए000६ व जलकर 66ए715६ए रामगढ़ ष वर में संपत्तिकर 1ए60ए000६ व जलकर 34ए340६ए लक्कड़पीठा प्याऊ के पास ष वर में संपत्तिकर 2ए30ए000६ व जलकर 44ए230६ए धानमण्डी ष वर में संपत्तिकर 2ए07ए000६ व जलकर 33ए940६ए जूनि कोर्ट करण टॉकज ष वर में संपत्तिकर 1ए84ए000६ व जलकर 56ए350६एआनन्द कालोनी ष वर मे संपत्तिकर 86ए000६ व जलकर 35ए140६ए प्रताप नगर ष वर में संपत्तिकर 1ए16ए000 व जलकर 57ए670६ए महावीर नगर ष वर में संपत्तिकर 69ए000६ व जलकर 21ए185६ए पैलेस रोड ष वर में संपत्तिकर 3ए50ए000६ व जलकर 66ए865६ए चौगानिया भेरू मंदिर के पास ष वर में संपत्तिकर 1ए15ए000६ व जलकर 25ए865६ए सायर चबुतरा ष वर में संपत्तिकर 2ए42ए000६ व जलकर 70ए400६ए चौमुखील पुल ष वर में संपत्तिकर 4ए70ए000६ व जलकर 43ए925६ए बजाज खाना गणेष देवरी ष वर में संपत्तिकर 2ए55ए000६ व जलकर 39ए750६ए षास्त्रीनगर ष वर में संपत्तिकर 2ए33ए000६ व जलकर 35ए810६ए दो बत्ती ष वर में संपत्तिकर 4ए06ए000६ व जलकर 22ए500६ की रा ष जमा कराई। इस तरह नागरिकांेे ने अब तक आयोजित ष वरों मेंे 68ए70ए144६ संपत्तिकर व 14ए02ए220६ए रा ष जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित कये गये वसूली ष वरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लये 25 से 26 मार्च तक स्टेषन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में ष वर आयोजित कये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध कया गया है क निगम द्वारा उक्त ष वर बकायादारों की सु वधा के लए आयोजित कये गये है इन आयोजित ष वरों में बकायादार अपनी बकाया रा ष जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।।

अनुपस्थित 55 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 23 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के व भन्न वार्डो में 22 मार्च सोमवार 35 व 23 मार्च मंगलवार को 20 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित कये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी कया गया।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का वक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 23 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना कये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में वराट मेहराए उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त कया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए मनोज

झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो क खुले मेंए नाले-ना लयों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का वक्रयए उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क षहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

733 मवे शयों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 23 मार्च । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद वचरण करने वाले मवे शयों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य वभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवे शयों को पकड़ा जायेगा क्यों क मवेशी पालको द्वारा दिन में मवे शयों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अ भयान चलाया गया तथा 23 मार्च तक शहर के व भन्न क्षेत्रों से 733 मवे शयों को पकड़ा जाकर जिले की व भन्न गौशालाओं में भेजा गया। अ भयान के तहत 22 मार्च सोमवार को लक्ष्मी नगर व सायर चबुतरा से 3 मवेशी निगम के स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अ भयान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी

मवेशी पालकों को नोटिस जारी कया गया है। शहरी क्षेत्र में मवे शयों का पालन करना नियम वपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो क शहरी क्षेत्र में अनुमति के वपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवे शयों का पालन कया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर रा श वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो क अपना घोड़ा या अन्य कसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे कसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड कये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद वचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड रा श रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से वचरण करने वाले मवे शयों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अ धकारी श्री ए0पी0 संहए झोन प्रभारी श्री करण चौहानए श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य वभाग के अमले द्वारा की गई।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 23 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-ना लयों आदि समु चत सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-ना लयों में कचरा पाये जाने पर संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समु चत साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबं धतों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 23 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरोंए दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के व भन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सटीजन फीडबैक लया।

सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 23 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाडए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मशन के तहत सफाई संबंधी शकायत दर्ज कराने के लये भारत सरकार द्वारा तैयार कये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमक र्मयों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के व भन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मशन के तहत कये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करेंए उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद

अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण कया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 23 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो क अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अप शष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पै कंग मटेरियलए टुटे खलौनेए प्लास्टिक आदि के लये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लये पेन्ट के डब्बेए पेस्टीसाइड के डब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लये काला डस्टबीन तथा मे डकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए संरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के व भन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबं धत के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000.5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं. व./हेमन्त/23ण03ण2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.